स्मृति पत्र

1– संस्था का नाम : **धर्मवीर एजुकेशन सोसायटी**

2– संस्था का पूरा पता : म0नं0 135, ग्राम खेड़ा कुरतान, विकास खण्ड कांधला, जिला शामली।

3– संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

4– संस्था के उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

1– समाज में एकता एवं भाईचारे की भावना कायम करना।

2– बालक/बालिकाओं हेतु प्राईमरी स्तर से उच्च स्तर तक स्कूल, कालेज, का नियमानुसार निर्माण कर संचालन करना।

3– मेधावी विद्यार्थियों को पुरूस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करना।

4– प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा का निःशुल्क आयोजन करना व संचालन करना।

5– बालक/बालिकाओं के लिए निःशुल्क पुस्तकालय व छात्रावास की व्यवस्था करना।

6– बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।

7– महिलाओं एवं छात्र/छात्राओं को निःशुल्क ब्यूटीशियन, सिलाई, कढ़ाई, कम्प्यूटर, आदि में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।

8– समय-समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे खेल, ज्ञान-विज्ञान एवं गोष्ठियां, सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना।

9– मंदबुद्धि, नेत्रहीन तथा विकलांगों आदि के लिए शिक्षा का निःशुल्क प्रबन्ध करना।

10– बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं व पर्यावरण के प्रति जागरूक करना।

11– छात्र/छात्राओं को निःशुल्क प्रतियोगिताओं की तैयारी कराना।

12– कुष्ठ अपाहिज एवं संक्रामक रोगों से ग्रस्त निराश्रित निःसहाय व्यक्तियों की सम्बन्धित अधिकारी से अनुमति लेकर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करना।

13– अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के छात्र एवं छात्राओं के लिए कल्याणकारी कार्य करना।

14– मलिन बस्तियों के व्यक्तियों के जीवन स्तर को उठाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से अवगत कराना।

सत्य प्रतिलिपि

पूजा

कौशल

चमनवीर सिंह

नौशाद

नियमावली

1– संस्था का नाम	:	**धर्मवीर एजुकेशन सोसायटी**
2– संस्था का पूरा पता	:	म0नं0 135, ग्राम खेड़ा कुरतान, विकास खण्ड कांधला, जिला शामली।
3– संस्था का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4– संस्था के उद्देश्य	:	स्मृति पत्र के अनुसार।
5– सदस्यता	:	प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो बालिग एवं भारत का नागरिक हो तथा संस्था में विश्वास रखता हो। संस्था का सदस्य बन सकता है।
(अ) संरक्षक सदस्य	:	ऐसा व्यक्ति अथवा स्त्री जो अति विशिष्ठ व्यक्तित्व एवं सामाजिक प्रतिष्ठा रखता हो, स्वेच्छा से कम से कम 1000/– रूपये संस्था को दान करने पर संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जा सकता है।
(ब) आजीवन सदस्य	:	जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त 1100/ रूपये दान स्वरूप देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य बन सकता है।
(स) सामान्य सदस्य	:	जो व्यक्ति संस्था के कार्यो व उद्देश्य में रूचि रखता हो। रू0 100/– वार्षिक शुल्क देकर संस्था का सामान्य सदस्य बन सकता है।
6– सदस्यता समाप्ति	:	निम्न कारणों में से किसी भी एक या एक से अधिक कारण होने पर किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

1– मृत्यु हो जाने पर
2– पागल हो जाने पर
3– न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित होने पर
4– समय पर सदस्यता शुल्क ना अदा करने पर
5– त्याग पत्र देने पर

पूजा कौशिक

धर्मवीर सिंह

7– संस्था के अंग : क– साधारण सभा।

ख– प्रबन्धकार्यकारिणी समिति।

क) साधारण सभा

1– **<u>साधारण सभा का गठन</u>** :– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर होगा।

2– <u>सामान्य **बैठक**</u>:– साधारण सभा के लिए बैठक सामान्यत: एक वर्ष में एक बार होगी।

3– विशेष बैठक :– किसी आवश्यक कार्यवश आकस्मिक बैठक 24 घंटे की सूचना पर किसी भी समय आहूत की जा सकेगी।

4– <u>सूचना</u> :– सामान्य बैठक की सूचना एक सप्ताह के अन्तराल पर एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी।

5– <u>गणपूर्ति</u> :– प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए कार्यकारिणी समिति व आम सभा की कुल संख्या का दो तिहाई भाग की उपस्थिति पर ही गणपूर्ति मानी जायेगी।

6– वार्षिक अधिवेशन:– साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति तय करेगी।

सत्य प्रतिलिपि

7– <u>साधारण सभा के अधिकार:</u>

1– संस्था के लिए बजट स्वीकृत करना।

2– कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों का चुनाव करना।

3– कार्यकारिणी द्वारा किये कार्यो पर गौर करना, उनकी समीक्षा करना तथा सुझाव देना।

4– संविधान में नियमानुसार संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं परिमार्जन करना।

पूजा कौशल

धर्मवीर सिंह

5– संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक निर्णय लेना।

6– प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

स– प्रबंध कार्यकारिणी समिति :

1– गठन : प्रबंध कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नवत किया जायेगा।

अध्यक्ष – एक , उपाध्यक्ष – दो , प्रबंधक – एक ,

उपप्रबंधक – एक, कोषाध्यक्ष – एक,, सदस्य– दो

2– बैठक – कार्यकारिणी की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम दो बार बुलाई जायेगी। कार्यकारिणी की विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

3– सूचना अवधि – (1) कार्यकारिणी की साधारण बैठक की सूचना निश्चित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जायेगी।

(2) विशेष बैठक की सूचना कम से कम एक दिन यानि 24 घंटे पूर्व दी जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

4– कोरम– कार्यकारिणी समिति की बैठक में कम से कम 2/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। कोरम पूरा न होने की स्थिति में बैठक स्थगित की जायेगी। स्थगित की गई बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

पूजा कौशल